

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, उदयपुर

पार्थी : श्री हरिराम

बनाम

विपक्षी : श्री वरदा व अन्य

किस्म मुकदमा- 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

पत्रावली संख्या : 134/25

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 29.01.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में पाया कि इस पत्रावली का मूल वाद प्रकरण संख्या 240/21 अनवान हरिराम बनाम वरदा दिनांक 21.12.2023 को निर्णित हो चुका है जिससे इस पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः मूल वाद निर्णित होने से कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

(रमेश चन्द्र बहेडिया RAS)

सहायक कलक्टर  
सहायक कलक्टर  
भीण्डर

